राजस्थान सरकार

तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर

कमांकः एफ5(3)प्राशिनि / ई–2 / 2022–23 / दिनांकः

प्रधानाचार्य,
राजकीय एवं निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,
समस्त।

विषयः प्रथम वर्ष 2021–22 में प्रवेशित तथा प्रथम सेमेस्टर एवं द्वितीय सेमेस्टर की परिक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के शाखा परिवर्तन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देशों बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निम्नानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैः–

1. आपकी संस्थान में अध्ययनरत् प्रथम वर्ष (**प्रथम सेमेस्टर एवं द्वितीय सेमेस्टर**) के सभी विषयों में उत्तीर्ण छात्र / छात्राओं के शाखा परिवर्तन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी नीतिगत दिशा–निर्देश, आवेदन पत्र (Format : BRC-1) एवं अन्य दिशा निर्देश इस पत्र के संलग्न किये जा रहे हैं तथा विभागीय वेबसाईट http://dte.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध करवाये गये हैं। इनका प्रिन्ट आउट लेकर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावे। विद्यार्थियों की सुविधा हेतु आवदेन पत्र की प्रतियां प्रिन्ट आउट निकाल कर उन्हें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करावें। पार्श्व प्रवेश (सत्र 2022–23) में ऑनलाइन काउन्सलिंग के उपरान्त Internal Sliding पश्चात ब्रांचवार रिक्ति सीटों अनुसार शाखा परिवर्तन करे।
2. संयोजक पार्श्व प्रवेश द्वारा जारी संस्थानवार रिक्त रहे स्थानों पर ही ब्रांच परिवर्तन किया जाना है। उक्त ब्रांचवार रिक्तियॉ, सम्बन्धित संस्थान के प्रथम वर्ष (सत्र 2022–23) के विद्यार्थियों पंजीकृत (Enrolment) द्वारा उपरान्त रिक्त रही सीटों के आधार पर निर्धारित की गई थी। पंजीयन उपरान्त तथा शाखा परिवर्तन की तिथि के मध्य यदि कोई छात्र सीट छोड़ता है तो उसको शामिल करते हुए ब्रांच परिवर्तन की कार्यवाही की जावें।
3. इस कार्य हेतु महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नानुसार रहेगीः–
   a. शाखा परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थियों से आवेदन पत्र दिनांक 01.09.2022 से 08.09.2022 तक आमंत्रित किये जावे।
   b. संस्था स्तर पर एक समिति का गठन कर नियमानुसार शाखा परिवर्तन की कार्यवाही दिनांक 09–10.09.2022 को संस्थान में सम्पन्न की जावे।
   c. शाखा परिवर्तन Format: BRC-2 to 4 के अनुसार सूचियाँ निदेशालय को अनुमोदन हेतु दिनांक 12.09.2022 तक आवश्यक रूप से निर्धारित प्रारूप में ई–मेल dte_raj@rajasthan.gov.in पर हस्ताक्षरित हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी प्रेषित की जावे। ई–मेल के विषय में "Proposals for branch change" अंकित किया जावे। निर्धारित तिथि / अवधि के पश्चात प्राप्त पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
4. संस्था स्तर पर किया गया शाखा परिवर्तन निदेशालय से अनुमोदन होने के पश्चात् ही मान्य होगा। यदि आप द्वारा निदेशालय की अनुमति के बिना किसी विद्यार्थी का शाखा परिवर्तन कर, परिवर्तित शाखा में अध्ययन करवाया जाता है तो प्राविधिक शिक्षा मण्डल द्वारा नई शाखा के अनुसार परिक्षा का आयोजन नहीं करवाया जावेगा। इस सम्बन्ध में यदि विद्यार्थी द्वारा किसी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही की जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेवारी संस्था की ही होगी।

संलग्नः – उपरोक्तानुसार

भवदीय,
Sd/-
निदेशक, तकनीकी शिक्षा

कमांकः एफ5(3)प्राशिनि / ई–2 / 2022–23 / 8874–75 दिनांकः 26/8/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त निदेशक एवं सचिव, प्राविधिक शिक्षा मण्ड़ल, राजस्थान, जोधपुर।
2. प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें, साथ ही समस्त राजकीय / निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय को ई–मेल भी करें।

संयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा